कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

—:विज्ञप्तिः—

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अनुरेखक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दस्तावेजों के सत्यापन बाबत् सूचना (तृतीय कांउसिलिंग)

—00—

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अनुरेखक के रिक्त पदों की भर्ती हेतु समाचार पत्रों के विज्ञापन कमांक जी–58945/2 द्वारा जारी विज्ञापन के संबंध में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा जारी परीक्षा परिणाम मेरिट सूची के आधार पर विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अर्हता के अनुसार सत्यापन हेतु निम्न अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 30.06.2023 में किया जाना है। जो निम्नानुसार है :–

क्र	संवर्ग	पद संख्या	रोल नंबर एवं अभ्यर्थी का नाम
1.	अनारक्षित (महिला)	01	16010172-GARIMA YADAV, 25020151-AFREEN SIDDIQUI, 25010590-SUMAN MANIKPURI, 25010874-NEHA SAHU, 16010353-PARUL PALIA, 16010329- PRIYA SINGH
2.	अनारक्षित (दिव्यांगजन)	01	25010389-RAKESH, 25010538-BANSH RAM, 16010169-DOMENDRA KUMAR DESHMUKH (01 पद चलन निःशक्तता)
3.	अनुसूचित जाति (मुक्त)	01	25010188-MOHANISH, 25010864-INDRAJEET BHATT, 25010232-PRABHA SAHIS, 16010497-MANJEET KUMAR, 16010291-SATYAPRAKASH BANJARE, 16010058-PANKAJ KUMAR BHARATI
4.	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)	02	25010727-RASHMI WAKRE, 25010390-NITESH KUMAR NETAM, 16010087-AKANKSHA BHAGAT, 25020044-PRADEEP KANWAR, 25010521-CHANDAN SINGH, 25010260-AVINASH MARKAM, 25010942-CHHATRAPAL DHRUW, 16010124-SHATRUHAN SINGH KANWAR, 25010076-SHARNJEET KUJUR, 25020031-DEVCHARAN RATHIA, 16010189-PARASMANI LARENDRA, 16010244-ANIL KUMAR SIDAR

स्थानः— मिटिंग हाल–2, तृतीय तल (लॉबी), इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।

समय :— 11:00 बजे सुबह से 4:00 बजे तक।

दूरभाष :— 0771–2221656

टीप :— (1) निर्धारित तिथि 30.06.2023 के पश्चात् उक्त अभ्यर्थियों का कांउसिलिंग हेतु विचार नहीं किया जावेगा।

(2) जारी विज्ञापन में विहित शैक्षणिक अर्हताधारी "10+2 अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। आई.टी.आई. से ड्राफ्समेन ट्रेड का प्रमाण पत्र अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रारंभिक एवं माध्यमिक ड्राईंग परीक्षा उत्तीर्ण। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है।" अभ्यर्थी ही उपस्थित होवे। उक्त विहित शैक्षणिक अर्हता से हटकर अन्य अर्हताधारी अभ्यर्थी को कांउसिलिंग में विचार नहीं किया जावेगा।

(3) दस्तावेज के सत्यापन हेतु बुलाये गये उक्त सभी अभ्यर्थियों से यह तात्पर्य नहीं है कि, उन सभी की नियुक्ति की जावेगी, अर्थात् नियमानुसार रिक्त पद एवं मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

(4) उपरोक्त नियुक्तियॉ एवं चयन प्रकियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के परिपत्र कमांक एफ 13–1/2023/आ.प्र/1–3 दिनांक 03.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) कमांक 19668/2022 अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगी।

(5) विभाग द्वारा उक्त अनुरेखक भर्ती हेतु दिव्यांगजनों के लिये 01 पद (चलन निःशक्तता) विज्ञापित किया गया है। व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची में दिव्यांगता के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण दिव्यांगजन अंतर्गत व्यापम द्वारा जारी मेरिट के आधार पर क्रमशः उक्त रोल नंबर के अभ्यर्थी को कांउसिलिंग के लिये बुलाया जा रहा है। तथापि व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर ही विज्ञापित पदो के लिये कांउसिलिंग की कार्यवाही की जावेगी। विज्ञापित दिव्यांगता न होने पर कांउसिलिंग हेतु किसी प्रकार की दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

उपरोक्त दर्शित रोल नंबर अभ्यर्थियों को सत्यापन हेतु व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, आई.टी.आई. से ड्राफ्ट्समेन का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, दिव्यांगजन प्रमाण पत्रों के मूल दस्तावेज एवं एक सेट प्रमाणित छायाप्रति सहित लाना अनिवार्य है।

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.) एवं अध्यक्ष
विभागीय चयन समिति
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर